09/7/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र 0.7 नि.।। के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षगण के प्रस्तुत तथ्यों के समग्र विवेचन से यह प्रदर्शित होता है कि अप्रार्थी वादी द्वारा जिस वाद अधीन भूमि ख.नं. 5/5 रकबा 1.62 है. का स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने का तथा अभिलिखित एकल खातेदार प्रार्थी प्रतिवादी न. 1 के नाम के अंकन को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, उक्त वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अभिलिखित एकल खातेदार से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 07.12.22

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

राधेश्याम बनाम प्रोग्रेसिव प्रोमोटर्स एल.एल.पी.

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) [illegible] मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 24/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	09/07/25	पुनः एकमात्र क्रेता के रूप में क्रय की गई है तथा उक्त विक्रेता द्वारा अभिलिखित भूमि वादग्रस्त को अभिलिखित मूल एकल खातेदार से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के रूप में क्रय की गई थी। जिसके उपरान्त उक्त क्रेता भूमि वादग्रस्त का अभिलिखित एकल खातेदार स्थापित हुआ। इस प्रकार जिस वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का अप्रार्थी / वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है उस वादग्रस्त भूमि को उसके वास्तविक अभिलिखित स्वामी द्वारा स्वयं जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के 20 वर्ष पूर्व ही (2005) बेचान किया जा चुका था। जिसके उपरान्त भी उक्त भूमि का अग्र हस्तांतरण भी पूर्व में किया जा चुका है। इस प्रकार वास्तविक स्वामी द्वारा अपनी अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर 20 वर्ष पूर्व ही बेचान कर दिए जाने सम्बन्धी विवाद को सुनने की क्षेत्राधिकारिता न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं होना उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त भी अप्रार्थी / वादी द्वारा भूमि के अभिलिखित मूल एकल खातेदार को वा[illegible] के आधार पर उक्त [illegible] भूमि का स्वयं [illegible] का अनुतोष चाहा गया है जबकि अप्रार्थी / वादी द्वारा मूल वास्तविक खातेदार किया	P.T.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) [illegible]
मुख्यालय-जयपुर

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

राधेश्याम बनाम पोलिकन डेवलपर्स प्रा. लि.

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) प्रथम मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09/07/25	देवी पत्नि नंदकिशोर का स्वयं के (वादी) विधिक वारिस होने सम्बन्धी कथन के संदर्भ में भी कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य / वारिसनामा / वसीयतनामा / गोदनामा आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही उत्तराधिकारी घोषित किया जाना न्यायालय हाजा की क्षेत्राधिकारिता का विषय है। इस प्रकार पंजीकृत विक्रय पत्रों को निरस्त किया जाना, मान्य साक्ष्य के अभाव में उत्तराधिकारी घोषित किया जाना न्यायालय हाजा की अधिकारिता का विषय नहीं है। अतः आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि द्वारा वर्जित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। (विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है) पत्रावली नियम शुमार होकर दर्ज नावर से कम होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) प्रथम मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner